न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 72/2019 (1954/2016)
GCMS NO. : **2016/00047**

-:: प्रार्थी ::-

1. पूनाराम पुत्र गिरधारीराम
जाति-मेघवाल निवासी घोडावड
तहसील जैतारण जिला-पाली।

बनाम

-:: अप्रार्थीगण ::-

1. मांगुराम पुत्र गिरधारी
2. उदाराम पुत्र गिरधारी
3. विमला पत्नि मांगू
जातियान-मेघवाल निवासीगण
घोडावड तहसील जैतारण
जिला-पाली। हाल
मुकाम-पी0-49 बाबु भाई
जयपाल नरवदेश्वर सोसायटी
रीफानरी रोड़ गोरवा पंचवटी
बडौदा जिला बडौदा (गुजरात)
4. समदूदेवी पत्नी रूपाराम
जाति-मेघवाल निवासी टूंकडा
तहसील जैतारण जिला-पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी0पी0सी0

तारीख रजू: 23/09/2019

उपस्थित:. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री बचनाराम पन्नू, श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः 28/10/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा घोडावड पटवार हल्का घोडावड भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जैतारण जिला पाली राज0 में वाके आराजी खसरा नम्बर 9/561 रकबा 10-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि में सायल 1/4 हिस्से की भूमि पर रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि की चालू जमाबन्दी खतौनी मय नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति प्रार्थना-पत्र के साथ पेश हैं जिसे प्रार्थना-पत्र का एक भाग माना जावे। उपरोक्त वर्णित विवादित कृषि भूमि सायल व गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है उक्त कृषि भूमि का सायल एवं गैरसायलान के मध्य विधिवत् रूप से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकास्मा नहीं हो रखा है सायल व गैरसायलान की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते/चक के रूप [illegible]लाती दर्ज है व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई [illegible] व काश्त अनुसार अलग-अलग तरमीम की हुई नहीं है। न[illegible] कर [illegible]न्दी की हुई है

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:58:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

मगर गैरसायलान सं. एक से तीन ने विवादित भूमि का बिना बंटवाड़ा करवाये, तथा सायल की सहमति के बगैर गैरसायलान सं. चार को जरिए लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 3/06/2016 को भूमि का बैचान कर दिया है उक्त लिखित पंजीबद्ध बैचान की प्रमाणित फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। उक्त लिखित बैचान के आधार पर दिनांक 5.06.2016 को गैरसायलान सं. चार जबरदस्ती बलपूर्वक सायल के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि पर सायल को बेदखल कर कब्जा करने की एलानिया धमकी दी, जबकि गैरसायलान सं. चार को भूमि का बिना तकारमा करवाये सायल के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलांदाजी करने, सायल को बेदखल कर कब्जा करने का कोई कानूनी अधिकारी नहीं है गैरसायलान सं. चार बोनाफाई परचेजर फॉर वॅल्यू है यदि गैरसायलान सं. चार सायल के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि से सायल को बेदखल कर कब्जा करने की कोशिश किये जाने पर सायल गैरसायलान को ऐसा हरगीज नहीं करने देगा, जिससे मौके पर टण्टा फसाद होगा, सायल को गैरसायलान के विरूद्ध बार बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पडेंगे, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, सायल को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है। इसलिए सायल गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान के पेश है। समस्त तथ्यों व परिस्थितियों व दस्तावेजात् के आधार पर व मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर सायल का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी साबित है गैरसायलान विवादित भूमि से सायल को बेखदल कर कब्जा करने, व भूमि खुर्द बुर्द करने व राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन करने पर आमादा है यदि गैरसायलान ने ऐसा किया तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी, जिससे क्षतिपूर्ति भी सायल के पक्ष में साबित है तथा मौके पर कब्जा काश्त के आधार सायल के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन बखूबी साबित है। इसलिए सायल गैरसायल के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात् पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा घोड़ावड़ पटवार हल्का घोड़ावड़ तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नं. 9/561 रकबा 10-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि में सायल 1/4 हिस्से की भूमि पर रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है व भूमि का उपयोग/उपभोग कर रहा है जो गैरसायलान भूमि का बिना बंटवाड़ा करवाये लिखित बैचान आधार पर सायल के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में सायल को बेदखल कर जबरदस्ती व बलपूर्वक कब्जा करने व रेकर्ड में परिवर्तन करने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के बाद के निर्णय तक गैरसायलान को रोका जावे, अन्य कोई सहायता सायल प्राप्त करने का अधिकारी हो तो दिलवायी जावे।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये [illegible] वकालतनामा पेश किया गया, जो सा.मि. है। अप्रार्थीगण [illegible] प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:58:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थना–पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है परन्तु उक्त आराजी किसी प्रकार से विवादित नहीं है। प्रार्थना–पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है सायल एवं गैरसायलान के बीच आपसी सहमती से उक्त आराजी का मौके पर बंटवाडा किया हुआ है एवं दोनो पक्ष अपने–अपने हिस्से पर लम्बे अर्से से काबिज है एवं उक्त आराजी का उपयोग/उपभोग कर रहे है, मौके पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। मौके पर सायल एवं गैरसायलान के हिस्से अलग है तथा प्रत्येक के हिस्से अलग–अलग है एवं मौके पर माठ की हुई है। गैरसायलान के घर खर्च हेतु रूपयों की आवश्यकता होने के कारण उक्त आराजी में से अपने हिस्से एवं हक की जमीन गैरसायलान 4 को बेचान की थी। उक्त आराजी बेचान से पूर्व सायल को पूछा कि हम उक्त आराजी बेच रहे है, यदि आपको लेनी हो तो ले लो, क्योंकि आप हिस्सेदार है वरना हम किसी अन्य को बेचेंगे। तक सायल ने कहा कि मुझे उक्त आराजी नहीं लेनी है आप किसी को भी बेच सकते हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब गैरसायलान अपने हिस्से की जमीन गैरसायलान संख्या 4 को बेचान की तब सायल ने गैरसायलान से लडाई झगडा किया तथा एतराज किया एवं न्यायालय में आकर यह प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का एवं वाद पत्र पेश किया, जो गलत एवं बेबुनियाद आधारों पर गैरसायलान को तंग व परेशान करने हेतु श्रीमान् के न्यायालय में पेश किया। गैरसायलान ने दिनांक 5/06/2016 को गैरसायल ने सायल को कोई ऐलानिया धमकी नहीं दी न ही सायल के कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की, सायल ने झूठे तथ्य पेश किये है। सायल आज भी मौके पर अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है एवं फसल बाई हुई है। उल्टा सायल, गैरसायल को मौके पर नहीं आने दे रहा है एवं उसकी फसल को नुकसान पहुँचा रहा है तथा गैरसायल को अपनी खरीदसुदा भूमि में प्रवेश भी नहीं करने दे रहा है। सायल को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो रही है। उल्टा सायल की वजह से गैरसायलान को असीम क्षति हो रही है। इस प्रार्थना पत्र के कारण हल्का पटवारी ने गैरसायल के नाम म्यूटेशन भरने से इन्कार कर दिया है। गैरसायल उक्त खरीदसुदा भूमि की कीमत भी अदा कर चुका है। सायल ने यह प्रार्थना–पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर एवं गैरसायलान को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से पेश किया है जिसे भारी भरकम कोस्ट से खारिज फरमावें। प्रार्थना–पत्र के पद संख्या 3 में वर्णित तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। सायल का प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं है गैरसायलान अपने हक हिस्से एवं खरीदसुदा भाग में ही खेती कर रहा है सायल के हिस्से में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही कर रहा है। सायल के पक्ष में किसी प्रकार से सुविधा का सन्तुलन नहीं है। अन्त में सायल ने जो इस्तदुआ चाही है व कत्तई प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है कारण कि सायल अपने हक हिस्से की [illegible] उपभोग पिढियों से कर रहा है जो भी निरन्तर एवं बिना किसी [illegible] काश्त कर रहा है उल्टा सायल ने गैरसायलान को पिछले [illegible] की जमीन पर शान्ति से

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:58:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

खेतीबाडी नहीं करने दे रहा है। सायल को 1/4 हिस्से में खेती करने या अन्य कार्य करने से न तो कभी बेदखल किया है न ही करेंगे। गैरसायलान अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करें बैचान करें, रहन रखें, किसी अन्य को काश्त पर सोंपे तो सायल को कानूनी रूप से दखल करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः जबाब प्रार्थना-पत्र गैरसायलान की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना-पत्र विधि विरूद्ध बे-बुनियाद, निराधार एवं गैरसायलान को तंग परेशान करने एवं आर्थिक क्षति पहुॅचाने के उद्देश्य से पेश किया हो जो काबिल चलने में नहीं होने से सव्यव खारिज फरमावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः**- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं भू-अभिलेखीय दस्तावेजात यथा जमाबंदी संवत् 2069-72 ग्राम घोडावड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त अविभाजित सह-खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थी द्वारा वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। सह-खातेदारी भूमि के संबन्ध में यह मान्य सिद्धान्त है कि प्रत्येक सह-खातेदार का सह-खातेदारी भूमि के प्रत्येक हिस्से पर स्वामित्व एवं कब्जा निहित होना माना जाता है। चुंकि सह-खातेदारी भूमि के संबन्ध में सह-खातेदारों के मध्य विवाद के समाधान के लिए कानूनन हिस्सेनुसार बंटवाड़ा ही समाधान है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वादग्रस्त आराजी में केवल प्रार्थीगण के पक्ष में ही प्रथम दृष्टया मामला है। अतः यह बिन्दू बखूबी साबित नहीं होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः-** चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुआ है, साथ ही अविभाजित भूमि की दशा में प्रत्येक सहखातेदार के हिस्से तक सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित होना माना जाता है। अतः केवल एक सहखातेदार के पक्ष में सुविधा का संतुलन निहित होना नहीं माना जा सकता। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।
3. **अपूरणीय क्षतिः-** चुंकि पूर्व विवेचित दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुए है। साथ ही चुंकि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण भी सह-खातेदार है तथा प्रत्येक सह-खातेदार को अपने खातेदारी अधिकार का उपयोग एवं उपभोग करनें का प्राथमिक अधि[illegible] अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें से इन्हें अपने [illegible] अधिकारों के उपयोग/उपभोग से

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:58:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

महरूम होना पड़ेगा। अतः अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होना संभव है। अतः यह बिंदू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज़/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 28/10/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:58:21 IST
Reason: SelfAttested